


रिशाल सिंह बनाम करणीसिंह वगै०
मु०नं० 164/2015
दावा अ०धा० 88

दिनांक -05.03.2020 वकील वादी उपस्थित। विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अंतिम डिक्री किया जाता है। विवादित भूमि ख.नं. 100, 154, 160 कित्ता 3 रकबा 7.58है० वाके ग्राम कुलोठ खुर्द का तहसीलदार सूरजगढ़ के पत्रांक भूअ./2016/207 दिनांक 28.01.2019 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के मुताबिक पक्षकारान को खातेदार कस्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव में अंकितानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें। विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार पर्चा डिक्री मुर्तिब हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।


(अभिलेखणी), सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

